न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 175 सन 2020 / ऑन लाईन नम्बरः–2020 / 00197
अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सन्तलाल पुत्र पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर । वादीगण

बनाम

1. सागरमल पुत्र पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
2. प्यारेलाल पुत्र पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
3. सोनी पुत्री पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
4. ज्याना पुत्री पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
5. विश्वनाथ पुत्र सावित्री पुत्री पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
6. रूपी पुत्री सावित्री पुत्री पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
7. पुष्पा पुत्री सावित्री पुत्री पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
8. जीवणराम पुत्र स्व विमला जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
9. सुधीर पुत्र स्व विमला जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
10. सविता सैनी पुत्री स्व विमला जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 21/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 34 / 33 की कुल 4.8070हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि पीरू वल्द बाला के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वादी के दादा पीरू वल्द बाला के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के दादा पीरू वल्द बाला एवं उसकी पत्नि भवरीदेवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं मृतक पुत्री सावित्री के वारिस प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 है एवं मृतक पुत्री विमला के वारिस प्रतिवादी संख्या 9 ,10 है इसप्रकार पीरू के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो पीरू के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादीगण की बहने प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 मृतक बहन सावित्री के वारिस एवं प्रतिवादी संख्या 9 ,10 मृतक बहन विमला के वारिस है प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है अर्थात वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादी के दादा पीरू वल्द बाला एवं दादी भवरीदेवी का देहान्त हो चुका है वर्तमान में वाद भूमि वादी के दादा के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 34/33 की कुल 4.8070हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि पीरू वल्द बाला के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वादी के दादा पीरू वल्द बाला के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के दादा पीरू वल्द बाला एवं उसकी पत्नि भवरीदेवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं मृतक पुत्री सावित्री के वारिस प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 है एवं मृतक पुत्री विमला के वारिस प्रतिवादी संख्या 9 ,10 है इसप्रकार पीरू के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो पीरू के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादीगण की बहने प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 मृतक बहन सावित्री के वारिस एवं प्रतिवादी संख्या 9 ,10 मृतक बहन विमला के वारिस है प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है अर्थात वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 34/33 की कुल 4.8070हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि पीरू वल्द बाला के नाम सें दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पीरू वल्द बाला के नाम से दर्ज है जो वादीगण के दादा है जिनका देहान्त हो चुका है प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र एवं मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार पीरू वल्द बाला के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जिसके सम्बध में किसी प्रकार का विवाद भी नही है ।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 34 / 33 की कुल 4.8070हैक्‍ में से 1 / 3 हिस्सा भूमि पीरा वल्द बाला के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000 / - रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सन्तलाल पुत्र पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. सागरमल पुत्र पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
2. प्यारेलाल पुत्र पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
3. सोनी पुत्री पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
4. ज्याना पुत्री पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
5. विश्वनाथ पुत्र सावित्री पुत्री पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
6. रूपी पुत्री सावित्री पुत्री पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
7. पुष्पा पुत्री सावित्री पुत्री पीरूराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
8. जीवणराम पुत्र स्व विमला जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
9. सुधीर पुत्र स्व विमला जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
10. सविता सैनी पुत्री स्व विमला जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 175 सन 2020 निर्णय दिनांक– 21/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 34/33 की कुल 4.8070हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि पीरा वल्द बाला के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner